उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522–2287868, फैक्स : 0522–2287834
ई–मेल : cecomuppcl@gmail.com
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांक : 289 / मु0अ0 (वा0 एवं ऊ0ले0) / वा0–1 दिनांक: सितम्बर, 17 2019

विषय :– अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं की शत प्रतिशत मीटरिंग का कार्य 31 दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पूर्वांचल
विद्युत वितरण निगम लि0
मेरठ / लखनऊ / आगरा / वाराणसी।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0 को सम्बोधित अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0 के पत्र सं0 395 / पीएसएच / 19 दिनांक 31.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के माध्यम से अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि अनमीटर्ड विद्युत उपभोक्ताओं का शत प्रतिशत मीटरिंग कार्य 31 दिसम्बर 2019 तक पूर्ण कर लिया जाय।

अतः उक्त निर्देश के क्रम में डिस्काम में स्थित सभी अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को शत प्रतिशत मीटरिंग करने हेतु अपने अधिनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

17/9/19
(श्रवण पर्ती)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522–2287842, फैक्स : 0522–2287834
ई–मेल : cecomuppcl@gmail.com
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः–   /मु0अ0(वा0 एवं ऊ0ले0)/वा0–1/प्रोविजनल बिलिंग   दिनांक/अगस्त, 2015

विषय :– शहरी क्षेत्र के अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के संयोजनों पर दिनांक 31.10.2015 तक शत–प्रतिशत मीटर स्थापित किये जाने हेतु **Suo-Moto Proceeding on Provisional Billing** में मा0 नियामक आयोग के पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

ई–मेल/स्पीड पोस्ट

प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पूर्वांचल
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
मेरठ/आगरा/लखनऊ/वाराणसी।

प्रबन्ध निदेशक
केस्को
कानपुर।

महोदय,

कृपया उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग के नोटिस सं0 यूपीईआरसी/निदेशक(टैरिफ)/2015–150 दिनांक 09/10.06.2015 के संदर्भ में डिस्काम के अन्तर्गत शहरी घरेलू बत्ती पंखा (एल0एम0वी0–1), शहरी गैर घरेलू बत्ती पंखा (एल0एम0वी0–2) एवं औद्योगिक, लघु एवं मध्यम (एल0एम0वी0–6) श्रेणी के माह जून, 2015 तक अनमीटर्ड उपभोक्ताओं का डिस्काम द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसे डिस्कामवार संकलित कर आपके अवलोकनार्थ संलग्न है।

Suo-Moto Proceeding on Provisional Billing की सुनवाई के उपरान्त मा0 आयोग द्वारा दिनांक 21.08.2015 को पारित आदेश में इस सम्बन्ध में अपने पूर्व आदेश दिनांक 29.05.2015 को संशोधित करते हुए स्पष्ट किया गया है कि शहरी क्षेत्र के अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के परिसर पर अक्टूबर 2015 तक मीटर स्थापित कर दिया जाय उसके बाद अनुज्ञप्तिधारी शहरी अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को बिल निर्गत करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

अतः संदर्भित प्रकरण में मा0 नियामक आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त आदेश के (पृष्ठ सं0 4 से 8 तक) बिन्दु सं0 1 से 9 में अंकित निर्देशों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 पाठक)